UPME010172762022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोक्सो), न्यायालय सं.01, मेरठ।

उपस्थित– शिवानी सिंह–प्रथम (H.J.S)..........J.O.Code– UP1647

वाद सं.1328/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ------------------------------------अभियोजन

बनाम

जमालू उर्फ जमालुद्दीन पुत्र बुन्दू खां

निवासी मौहल्ला कल्लूपुरा कस्बा लावड़ थाना इंचौली, जिला मेरठ।

--------अभियुक्त

प्राथमिकी/मु.अ.सं.289/2022
धारा 377, 506 भा.द.सं.
व 5m/6 पोक्सो अधिनियम
थाना– लिसाडीगेट, जनपद मेरठ।

प्राथमिकी की तिथि----------------	21.05.2022
आरोप–पत्र दाखिल करने की तिथि---------	04.08.2022
अभियुक्त की संख्या-----------------	01
प्रसंज्ञान की तिथि------------------	23.08.2022
आरोप विरचन की तिथि----------------	26.09.2022
बहस की तिथि--------------------	18.05.2026
निर्णय की तिथि-------------------	22.05.2026

....

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक – 1. श्री सतीश कुमार बालियान
2. श्री धर्मवीर सिंह तोमर

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता – श्री अशोक कुमार शर्मा

....

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोक्सो),
न्यायालय सं.01, मेरठ।

निर्णय

1. पुलिस थाना लिसाडीगेट, जिला मेरठ द्वारा अभियुक्त जमालू उर्फ जमालुद्दीन पुत्र बुन्दू खां निवासी मौहल्ला कल्लूपुरा कस्बा लावड़ थाना इंचौली, जिला मेरठ के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 289/2022 अन्तर्गत धारा 377, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 5m/6 पोक्सो अधिनियम के विरूद्ध के आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

2. धारा 23 व 33(7) पोक्सो अधिनियम के प्रावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के अनुक्रम में अभियोक्ती की पहचान का प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि अभियोक्ती के सम्बन्ध में **"पीड़ित"** शब्द का प्रयोग इस निर्णय में किया जा रहा है।

अभियोजन केस

3. संक्षेप में **अभियोजन कथानक** इस प्रकार है कि दिनांक 20.5.2022 के समय करीब सुबह 11 बजे वादिया ने अपने बेटे/पीड़ित उम्र करीब 11 साल अपने छोटे बच्चे के लिए केले लेने के लिए पानी की टंकी के पास भेजा था तभी उसके बेटे/पीड़ित को एक अज्ञात आदमी साईकिल लेकल मिला और बेटे को आम खिलाने के बहाने साईकिल पर बैठा कर कहीं पर ले गया, उसके बेटे/पीड़ित ने उसे बताया कि उस अज्ञात आदमी ने पहले उसके कपडे उतारे और फिर उसके साथ कुर्कम किया और फिर वो आदमी उसके बेटे से कहने लगा कि अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। उसका बेटा बहुत डर गया और कुछ नहीं बोला फिर उसके बेटे/पीड़ित को साईकिल पर बैठाकर गैस गोदाम के पास छोड कर शाम 5 बजे अपनी साईकिल लेकर भाग गया तब से वादिया अपने बेटे की तलाश कर रही थी और जगह जगह इधर उधर देखती रही तो 60 फुटा हफ्ते वाली पैठ पर एक सुनार की समर गार्डन दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा की एक अज्ञात आदमी उसके बेटे को साईकिल के पीछे कैरियर पर बैठा कर लिए जा रहा है तभी से उसके बेटे/पीड़ित की तबीयत बहुत खराब थी और बोल भी नही पा रहा था। अतः वादिया मुकदमा की तहरीर पर थाना हाजा पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

विवेचना

4. वादिया मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर दिनांक 21.05.2022 समय करीब 17:20 बजे थाना लिसाडीगेट, जनपद मेरठ पर मुकदमा अपराध

संख्या 289/2022 अन्तर्गत धारा 377, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 5m/6 पोक्सो एक्ट में अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसका तस्करा जी.डी. कायमी मुकदमा में किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना की गयी। गवाहान के बयान अंकित किये गये। घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। पीड़ित के बयान धारा 161 व 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत बयान अंकित किये गये तथा विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये, अभियुक्त जमालू उर्फ जमालुद्दीन के विरूद्ध धारा 377, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 5m/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप–पत्र **प्रदर्श क–8** न्यायालय में प्रेषित किया गया।

प्रसंज्ञान

5. आरोप–पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा आरोप–पत्र के साथ समस्त प्रपत्रो, केस डायरी आदि का अवलोकन किया तथा उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 23.08.2022 को उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को अभिलेखों की प्रतियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार उपलब्ध करायी गयी तथा वाद का विचारण किया गया।

आरोप

6. न्यायालय द्वारा अभियुक्त जमालू उर्फ जमीलुद्दीन के विरूद्ध धारा 377, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 5m/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 26.09.2022 को आरोप विरचित करने के पर्याप्त आधार पाते हुये, उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया गया, उपरोक्त अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

7. **अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को सिद्ध करने के *लिये मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान को सशपथ परीक्षित कराया गया :–***

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	विवरण
अभियोजन साक्षी सं.01	वादिया मुकदमा	पीडित की माता
अभियोजन साक्षी सं.02	पीडित	पीड़ित
अभियोजन साक्षी सं.03	डॉ. हर्षल सिंह पी. परिहर	चिकित्सक
अभियोजन साक्षी सं.04	डॉ. फूल कुमार	चिकित्सक

8. **अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को सिद्ध करने के** ***लिये अभिलेखीय साक्ष्य में निम्न प्रपत्रो को साबित किया गयाः–***

अभियोजन प्रदर्श संख्या	प्रलेखीय साक्ष्य	साक्षी जिसके द्वारा साबित किया गया।
प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर	अभियोजन साक्षी सं.01 वादिया मुकदमा/पीड़िता की माता
प्रदर्श क–2	पीड़ित का बयान धारा 164 द.प्र.सं.	अभियोजन साक्षी सं.02 पीड़ित
प्रदर्श क–3	चिकित्सीय परीक्षण	अभियोजन साक्षी सं.03 डॉ. हर्षल सिंह पी. परिहर(चिकित्सक)
प्रदर्श क–4	डिस्चार्ज स्लिप	अभियोजन साक्षी सं.04 डॉ. फूल कुमार(चिकित्सक)
प्रदर्श क–5	चिक प्राथमिकी	प्रमाणिकता अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–6	जी.डी. कायमी	प्रमाणिकता अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–7	घटनास्थल का नक्शानजरी	प्रमाणिकता अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–8	आरोप–पत्र	प्रमाणिकता अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी।

9. अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित करने से इंकार किया गया तथा कथन किया गया कि उसके विरूद्ध मुकदमा फर्जी चला है। उसे प्रश्नगत केस में झूठा आलिप्त किये जाने का कथन किया तथा अभियुक्त को सफाई साक्ष्य का अवसर दिया गया परन्तु उसके द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

10. न्यायालय द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के तर्को का विश्लेषण

11. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त पर वादिया मुकदमा के नाबालिग पुत्र/पीड़ित के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर अप्राकृतिक संबंध बनाने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का अपराध कारित किया है। पीड़ित ने अपने बयान 161 व 164 द.प्र.सं. में अभियुक्त द्वारा कारित घटना का समर्थन किया है, इसलिये उपरोक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावें।

12. इसके खण्डन में बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर जो आरोप लगाये है, उसका कोई जनता का स्वतंत्र अभियोजन साक्षी नहीं है, न ही किसी के द्वारा पीड़िता को उसके घर से ले जाते हुये देखा जाना कहा है, जिससे कथित घटना अभियुक्त द्वारा किया जाना साबित हो सके।

13. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा तथ्य के जो दो अभियोजन साक्षीगण प्रस्तुत किये गये है, उनके द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का खण्डन किया गया है।

14. यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय के समक्ष परीक्षित वादिया मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना का समर्थन किया है परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में उपरोक्त अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित करने से इंकार किया गया है तथा पीड़ित ने भी अपने साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित करने से स्पष्ट इंकार किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित किये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे एक सोची समझी साजिश के तहत अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में मुल्जिम बनाया जाना प्रतीत होता है। जिस कारण घटना संदेह से परे साबित नहीं होती है, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिये तथा अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

15. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर वादिया मुकदमा के नाबालिग पुत्र/पीड़ित के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर अप्राकृतिक संबंध बनाने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का अपराध कारित करने का आरोप है, इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त पर लगाये गये आरोपो के संबंध में विचार किये जाने के लिए निम्न अवधार्य बिन्दु बनाये जाते है–

(अ)– क्या घटना की दिनांक को पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम थी ?

(ब)– क्या अभियुक्त पर वादिया मुकदमा के नाबालिग पुत्र/पीड़ित के साथ प्रवेशन

लैंगिक हमला कारित कर अप्राकृतिक संबंध बनाने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का अपराध कारित किया गया और उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 377 506 भारतीय दण्ड संहिता व 5m/6 पोक्सो एक्ट का अपराध अभियोजन पक्ष सिद्ध करने में सफल रहा है या नहीं ?

16. **निस्तारण अवधार्य बिन्दू स.-(अ)-**

(अ)- क्या घटना की दिनांक को पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी ?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था ***जनरैल सिहं बनाम स्टेट आफ हरियाणा (2013) 7 एस सी सी 263*** के मामले मे पैरा 20 के अंतर्गत इस आशय का न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि आयु का निर्धारण किशोर न्याय बालको की देख रेख एवं सरक्षण नियमावली 2007 के नियम 12 मे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।

वादिया मुकदमा ने अपनी तहरीर प्रदर्श क-1 में पीड़ित की आयु 11 वर्ष होना अंकित किया है। पीड़ित ने भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. में अपनी आयु 11 वर्ष होने का कथन किया है।

पीड़ित का कोई शैक्षणिक प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर दाखिल कागज सं.11अ मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी आयु प्रमाण-पत्र पर पीड़ित की आयु 11 वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसकी प्रमाणिकता को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभिमत यह है कि पीड़ित की आयु घटना के समय 11 वर्ष थी और वह अव्यस्क था।

तदानुसार अवधार्य बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

17. **निस्तारण अवधार्य बिन्दू स.(ब):-**

(ब)- क्या अभियुक्त पर वादिया मुकदमा के नाबालिग पुत्र/पीड़ित के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर अप्राकृतिक संबंध बनाने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का अपराध कारित किया गया और उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 377 506 भारतीय दण्ड संहिता व 5m/6 पोक्सो एक्ट का अपराध अभियोजन पक्ष सिद्ध करने में सफल रहा है या नहीं ?

18. **अभियोजन साक्षी सं.01 वादिया मुकदमा/पीड़िता की माता** ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा दी गयी तहरीर का समर्थन किया है तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। उसने मुल्जिम जमालू उर्फ जमालुद्दीन का नाम तहरीर में नहीं लिखाया था और न ही उसने उसके बेटे/पीडित को ले जाते हुये देखा और न ही उसने सी.सी.टी.वी फुटेज में देखकर अभियुक्त की पहचान की थी और न ही उसने दरोगाजी को इस

घटना के बाबत कोई बयान दिया था। यदि उसके बयान में मुल्जिम जमालू उर्फ जमालुद्दीन द्वारा उसके बेटे/पीड़ित को ले जाने के बाबत लिखा है तो वह गलत है।

19. इस साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने सी.सी.टी. फुटेज में अभियुक्त जमालू उर्फ जमालुद्दीन को देखकर पहचाना हो और दरोगाजी को उसका नाम बताया हो और जांच पड़ताल के दौरान बाग के मालिक व उसकी पत्नी ने उसके बेटे/पीड़ित को ले जाते हुये देखा हो और उसे इस घटना की जानकारी हुई हो।

20. इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में अपनी तहरीर का तो समर्थन किया है परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का खण्डन किया है तथा कथित घटना अभियुक्त द्वारा कारित किये जाने से इंकार किया है। साथ ही साथ यह भी अभिकथित किया है कि मुल्जिम का नाम उसने अपनी तहरीर में नहीं लिखाया था। वह पढ़ी लिखी नहीं है और न ही उसने अपने बेटे/पीड़ित को मुल्जिम द्वारा ले जाते हुये देखा गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

21. **अभियोजन साक्षी सं.02 पीड़ित** का न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अंकित करने से पूर्व पीडित से कुछ प्रश्नो के उत्तर पूछे गये, जिनके आधार पर न्यायालय ने यह पाया कि पीड़ित अपनी साक्ष्य देने में सक्षम है और तब उसका बयान अंकित किया गया। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथन किया कि उसकी उम्र 18 वर्ष है। दिनांक 02.08.2022 को लगभग एक वर्ष पहले वह टंकी के पास केले लेने नहीं गया था और न ही उसने टंकी के साथ कोई एक आदमी मिला, न ही उसने आम दिलाने के बाबत कोई बात हुई थी।

22. इस साक्षी ने अग्रेतर यह भी कथन किया कि न ही उसे ले जाकर बाग से आम चुगवाये थे और न ही उसने उसके साथ तेल लगाकर गलत काम किया था और न उसके खून निकला था। उसकी डाक्टरी हुई थी। वह चार दिन अस्पताल में रहा था। साक्षी को उसका अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. बयान पढ़कर सुनाया व दिखाया तो गवाह ने कहा कि इस पर उसका फोटो व अंगूठा लगा है परन्तु उसे नहीं पता कि उसने क्या बयान दिया था।

23. इस साक्षी के साक्ष्य के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त साक्षी एक 11 वर्ष की आयु का बालक है, जो अपने साथ हुई घटना के बाबत साक्ष्य देने में सक्षम है, जिसके द्वारा अपने साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा उसके साथ कथित घटना कारित करने से इंकार किया है तथा यह भी कथन किया है कि वह टंकी के पासकेले लेने नहीं गया था और न ही उसे टंकी के पास कोई आदमी मिला था और न ही उसने उसके साथ गलत काम किया था और न ही उसके खून निकला था। इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुये कथित घटना अभियुक्त द्वारा कारित किये जाने से स्पष्ट इंकार किया है।

24. अभियोजन साक्षी सं.03 डॉ. हर्षल सिंह पी. परिहर (चिकित्सक), ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 21.05.2022 को वह मेडिकल ऑफिसर के पद पर प्यारे लाल शर्मा अस्पताल मेरठ में आकस्मिक विभाग में रात्रि डयूटी पर तैनात था। उसी दिन रात में 10.35 बजे उसके पास नवीस पुत्र तस्लीम उम्र लगभग 11 वर्ष निवासी जाकिर कालोनी चमड़ा पेठ गली नं.28/3 थाना लिसाडीगेट मेरठ को होमगार्ड 391 वीर सिंह थाना लिसाड़ीगेट मेरठ द्वारा मजरूबी चिट्ठी एवं एफ.आई.आर. की कॉपी के साथ परीक्षण हेतु लाया गया था। उक्त केस में FIR नं. 289/22 था। जिसमें भा.द.स. 377, 506 व 5/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत परीक्षण हेतु लाया गया था।

परीक्षण की सहमति नवीस की माँ शाहिस्ता से ली गयी थी। पीड़ित को किसी भी तरह की कोई पुरानी बीमारी नहीं थी। पीड़ित के बदन पर कोई जाहिरा चोट का ताजा निशान नहीं था। गुर्दा द्वार के मुआयने पर कोई भी चोट का निशान मौजूद नहीं था। परीक्षण के समय गुर्दा द्वार से किसी भी तरह का खून या किसी भी तरह का डिस्चार्ज मौजूद नहीं था। पीड़ित का analsmear गुर्दा द्वार से लिया गया। उसको सील बंद कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पीडित के अनुसार घटना के बाद उसने कपड़े बदल दिये थे और नहा चुका था। पीड़ित अपने होश हवास में था। उसके वाईटल्स नार्मल थे। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज सं.10 अ/1 ता 10 अ/5 को देखकर कहा यह वहीं डाक्टरी मुआयना है, जो उसके द्वारा तैयार किया गया था। जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह शिनाख्त करत है। जिसको **प्रदर्श क-3** के रूप में साबित किया गया है।

25. अभियोजन साक्षी सं.04 डॉ. फूल कुमार (चिकित्सक), ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 21.05.2022 को वह प्यारे लाल शर्मा अस्पताल मेरठ में सर्जन के पद पर तैनात थी। इस दिन इमरजेंसी में पीड़ित को चिकित्सीय परीक्षण एवं इलाज के लिये उसके अंडर में पुरूष सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया था। मरीज को उसके द्वारा इलाज प्रदान किया गया था। भर्ती के दौरान मरीज को कोई असामान्य घटना नहीं हुई और दिनांक 23.05.2022 को सुधार के बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज स्लिप उसके द्वारा तैयार की गयी है, जो पत्रावली पर कागज सं.9 अ के रूप में मौजूद है। जिसको **प्रदर्श क-4** के रूप में साबित किया गया है।

26. उपरोक्त तथ्यों के साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी सं.01 पीड़ित की माता/वादिया मुकदमा जिसके द्वारा उपरोक्त मुकदमें की तहरीर दी गयी है, ने अपने साक्ष्य में मुल्जिम जामलू उर्फ जमालुद्दीन द्वारा पीड़ित के साथ कथित घटना कारित करने से इंकार किया है और उसके नाम को अपनी तहरीर में

लिखवाने से इंकार किया है तथा साथ ही साथ उसकी पहचान करने से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू02 पीड़ित जोकि कथित घटना का एक मात्र ऐसा साक्षी है, जिसके साथ कथित घटना हुई है और जो घटना का अपने साथ होना या न होना साबित कर सकता है परन्तु उसके द्वारा अपने साथ कथित घटना अभियुक्त द्वारा कारित किये जाने से स्पष्ट इंकार किया है।

27. अभियोजन द्वारा कथित घटना का कोई भी ऐसा स्वतंत्र अभियोजन साक्षी उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो कथित घटना पीड़ित के साथ अभियुक्त द्वारा किये जाने का समर्थन करते हो। यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर मौजूद पीडित की चिकित्सीय रिपोर्ट करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य के अनुसार पीड़ित को किसी भी तरह की कोई पुरानी बीमारी नहीं थी। पीड़ित के बदन पर कोई जाहिरा चोट का ताजा निशान नहीं था। गुर्दा द्वार के मुआयने पर कोई भी चोट का निशान मौजूद नहीं था। परीक्षण के समय गुर्दा द्वार से किसी भी तरह का खून या किसी भी तरह का डिस्चार्ज मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में मात्र अभियोजन प्रपत्रों के साबित होने के आधार पर अभियोजन का केस युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना आवश्यक है।

28. यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यह अभियोजन का कर्तव्य है कि अपना केस निश्चितता के संदेह से परे साबित करे। अभियोजन के केस में आये सन्देह का लाभ अभियुक्त पाने का हकदार है।

29. आपराधिक विधिशास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिये सभी तर्क संगतपूर्ण सन्देह से परे साबित करना होगा। अपने मामले को सभी तर्कपूर्ण सन्देह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और यह भार कभी भी नहीं बदलता। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से तथ्य के किसी भी अभियोजन साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया जा सके है।

30. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विश्लेषण से उपरोक्त अभियुक्त पर वादिया मुकदमा के नाबालिग पुत्र/पीड़ित के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर अप्राकृतिक संबंध बनाने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है। जिस कारण अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

31. उपरोक्त प्रकार से उभय पक्ष की ओर से व्यक्त तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, विधि

के प्रावधानों तथा उल्लिखित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में न्यायालय का मत है कि इस प्रकरण में जिस प्रकृति की अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसके आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त जमालू उर्फ जमालुद्दीन पुत्र बुन्दू खां निवासी मौहल्ला कल्लूपुरा कस्बा लावड़ थाना इंचौली, जिला मेरठ के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 289/2022 अन्तर्गत धारा 377, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 5m/6 पोक्सो अधिनियम, थाना लिसाडीगेट, जनपद मेरठ के अन्तर्गत गठित होने वाले अपराध में दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

(i) वाद सं.1428/2022 सरकार बनाम जमालू उर्फ जमालुद्दीन, अभियुक्त जमालू उर्फ जमालुद्दीन पुत्र बुन्दू खां निवासी मौहल्ला कल्लूपुरा कस्बा लावड़ थाना इंचौली, जिला मेरठ के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 289/2022 अन्तर्गत धारा 377, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 5m/6 पोक्सो अधिनियम, थाना लिसाडीगेट, जनपद मेरठ के आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित न होने के कारण से दोषमुक्त किया जाता है।

(ii) अभियुक्त जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते है एवं प्रतिभूतियों को उनकी जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(iii) अभियुक्त द्वारा धारा 437ए द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार अंकन 50,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व एक प्रतिभू इस निर्णय की दिनांक के 7 दिन के भीतर इस आशय से निष्पादित करें कि निर्णय के विरूद्ध अपील होने की स्थिति में वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगे, अन्यथा उनके प्रतिभूओं व बंधपत्र जब्त किये जा सकेंगे। उक्त प्रतिभू व बंधपत्र विधि द्वारा निर्धारित अवधि तक विधिनुसार ही प्रभावी होंगे।

दिनांक- 22.05.2026

(शिवानी सिंह-प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोक्सो), न्यायालय सं.01, मेरठ।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक- 22.05.2026

(शिवानी सिंह-प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोक्सो),न्यायालय सं.01, मेरठ।

J.O.Code-UP1647

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(पोक्सो),
न्यायालय सं.01, मेरठ।

Digitally signed by SHIVANI SINGH
Date: 2026.05.22 17:35:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court